52

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1343-तीन/2009 - विरूद्ध आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2009 - पारित व्दारा - आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 131/2005-06 निगरानी

रामबिहारी मिश्रा पुत्र गिरजा शॅकर मिश्र
ग्राम धोबखरा तहसील हुजूर
जिला रीवा, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री विकास द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 5 - 04 -2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 131/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2009 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर ने नायब तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 41 अ-19/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 11-1-1989 के परीक्षण उपरांत अनियमित ढंग भूमि व्यवस्थापित करना पाने के आधार पर प्रतिवेदन दि. 5-4-2004 कलेक्टर जिला रीवा को प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर रीवा

ने 63 अ-19/2003-04 स्वमेव निगरानी पॅजीबद्ध किया तथा अंतरिम आदेश दिनांक 15-4-2004 से नायव तहसीलदार के प्र0क0 41 अ-19/ 88-89 का परीक्षण करने पर पाया कि नायव तहवीलदार ने ग्राम धोबखरा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 10, 14,15 कुल किता 3 कुल रकबा 1.03 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) आवेदक के हित में अवैधानिकता एंव नियमितता करते हुये एंव नियम विरूद्ध कार्यवाही करके व्यवस्थापन किया है। फलतः नायव तहसीलदार व्दारा की गई अनियमितताओं का उल्लेख कर आवेदक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तत्पश्चात् अनावेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2006 पारित किया तथा नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 11-1-1989 निरस्त कर दिया। कलेक्टर जिला रीवा के इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 131/ 2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2009 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक ने मुख्यतः निम्नानुसार तर्क रखे हैं :-

1. अनुचित विलम्ब से पुनरीक्षण अवैध है।
2. वादित भूमियों पर निगरानीकर्ता का 70 वर्ष से कब्जा है जिसके कारण पात्र पाकर भूमि का व्यवस्थापन किया गया है।
3. आवेदक के पास व्यवस्थापित भूमि के अलावा अन्य भूमि नहीं है जिसके कारण आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र है फिर भी पात्रता की अनदेखी की गई है।

उक्त पद 4 (1) के कम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर ने प्र0क041 अ-19/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 11-1-1989 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में किया है विचार योग्य है कि भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें करने एंव नायव तहसीलदार व्दारा

व्यवस्थापन करके आवेदक को अनुचित लाभ देने का तथ्य प्रशासन के ध्यान में कब आया ? अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर के अभिज्ञान में अनुचित तरीके से भूमि व्यवस्थापन का तथ्य आने पर उनके व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 5-4-2004 कलेक्टर जिला रीवा को प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर रीवा के अभिज्ञान में यह तथ्य वर्ष 2004 में आया , उसके तत्काल वाद कार्यवाही करते हुये उन्होंने आवेदक के विरूद्व दिनांक 15-4-2004 को स्वमेव निगरानी पॅजीबद्व की है।

श्रीमती छोटीवाई विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2009 राजस्व निर्णय 357 में मान. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि गलत प्रविष्टियों के बारे में सूचना अभिप्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् पुनरीक्षण की स्वप्रेरणा की शक्ति प्रयुक्त की गई। इसे विलम्बित नहीं कहा जा सकता।

रामकिशन विरूद्व म0प्र0राज्य 2002 रा0नि0 7 में व्यवस्था दी गई है कि छै वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण विशिष्ट परिस्थितियों में युक्तियुक्त हो सकता है। इसी आशय का माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत जीवनलाल विरूद्व मध्य प्रदेश राज्य 2008 रा0नि0 327 भी है।

स्पष्ट है कि कलेक्टर रीवा व्दारा आवेदक के विरूद्व पॅजीबद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण को अनुचित विलम्ब से स्वमेव कार्यवाही करना नहीं माना जा सकता।

उक्त पद 4 (2) के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक 70 वर्ष से सत्त कब्जे चले आने का तथ्य बता रहा है व्यवस्थापन आदेश दिनांक 11-1-89 के पूर्व 70 वर्ष अर्थात सन् 1910 (अंग्रेज सरकार) के समय से आवेदक का यदि कब्जा रहा है तब 70 वर्ष की अवधि में उसके व्दारा वादग्रस्त भूमि पर नाम दर्ज कराने की कार्यव्राही क्यों नहीं की। रीवा राज्य का कानून मालगुजारी व कास्तकारी अधिनियम 1935 के अंतर्गत अथवा भारत स्वतंत्र होने के उपरांत समय समय पर प्रभावी किये गये नियम/अधिनियमों के अधीन आवेदक ने स्वयं के नाम भूमि कराने का प्रयास क्यों नहीं किया ? आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके। स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ तहसील हुजूर ने प्रकरण कमांक 41 अ-19/1988-89 में आदेश दिनांक 11-1-89 पारित करके आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाया है।

उक्त पद 4 (3) के कम में परीक्षण पर आवेदक भूमि व्यवस्थापन का पात्र ही नहीं है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 23 जनवरी 2006 के पद 6 में इस प्रकार विवेचना की गई है कि :-

" **अधीनस्थ न्यायालय व्दारा अनावेदक के भूमिहीन होने के वावत कोई जांच नहीं की गई है जबकि अति0 तहसीलदार हुजूर व्दारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 5-4-2004 में प्रतिवेदित किया है कि अनावेदक के नाम 3-93 एकड़ एंव अनावेदक के पिता के नाम 3-982 हैक्टर भूमि स्वतंत्र रूप से है एंव सहखाते में 8-939 हैक्टर भूमि दर्ज अभिलेख है।**

जब आवेदक पूर्व से ही उक्तानसुार भूधारक होकर बड़ा कास्तकार है एंव उसे भूमि व्यवस्थापन की पात्रता नहीं है इसके वाद भी नायव तहसीलदार सर्किल गोविन्दगढ़ ने आदेश दिनांक 11-1-89 पारित करके अपात्र आवेदक को भूमि व्यवस्थापित करते हुये अनुचित लाभ पहुंचाया है जिसके आधार पर कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 23 जनवरी 2006 से नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में त्रृटि नहीं की गई है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2009 पारित करके कलेक्टर के विधिवत् पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है। कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 23-1-06 में एंव आयुक्त, रीवा संभाग व्दारा आदेश दिनांक 127-8-09 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 131/ 2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर